अनुदान संख्या 49 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 49 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*1,00*	*1,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3992,99,00				
				4185,52,00	4180,51,69	-5,00,31
पूरक	Supplementary	192,53,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	600,86,00				
				600,94,00	473,36,92	-127,57,08
पूरक	Supplementary	8,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					126,87,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1357.00	2032.00	2029.43	-2.57
पु.	R.	675.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	28122.00	31590.61	31561.03	-29.58
पु.	R.	3468.61			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	14202.00	16069.00	16067.28	-1.72
पु.	R.	1867.00			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	8688.00	9583.87	9581.64	-2.23
पु.	R.	895.87			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	55648.00	58189.62	58029.66	-159.96
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2540.62			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	28157.00			
पू.	S.	1639.00	31618.00	31646.50	+28.50
पु.	R.	1822.00			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major head "2215"				
जलापूर्ति और स्वच्छता	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	4422.00			
			6266.19	6266.18	-0.01
पु.	R.	1844.19			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	3482.00			
पू.	S.	15600.00	15802.00	15801.89	-0.11
पु.	R.	-3280.00			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	7193.00			
			9149.74	9155.68	+5.94
पु.	R.	1956.74			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2406" वानिकी तथा वन्य जीव	Major Head "2406" Forestry and Wild Life				
मू.	O.	23574.00	24370.50	24359.30	-11.20
पु.	R.	796.50			
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	62584.00	65894.00	65852.78	-41.22
पू.	S.	1000.00			
पु.	R.	2310.00			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तम्भ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	15700.00	16547.00	16538.34	-8.66
पु.	R.	847.00			
मुख्य शीर्ष "3052" पोत परिवहन	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	44961.00	45741.16	45685.86	-55.30
	S.	1000.00			
पु.	R.	-219.84			
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	9631.00	7247.50	7247.23	-0.27
पु.	R.	-2383.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3054"	Major head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	13134.00	12057.32	12058.28	+0.96
पु.	R.	-1076.68			
मुख्य शीर्ष "3225"	Major head "3225"				
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services				
मू.	O.	23018.00	9447.09	9447.09	..
पु.	R.	-13570.91			

(I) ₹360.21 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹360.21 lakhs remained wholly unutilized under eighteen heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grants obtained in July, 2018 and Febuary, 2019 under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(का) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगर पालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद को बजटीय सहायता" के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान द्वारा ₹14600.00 लाख की निधि उपलब्ध कराई गई जो, तथापि, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण ₹2000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Under Major Head "2217" – "General – Assistance to Municipalities/Municipal Councils – Budgetary Support to Port Blair Municipal Council" – funds of ₹14600.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹2000.00 lakhs – due to availability of unspent balances of previous years.

(खा) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – अंतर–द्वीप जहाजों का प्रचालन प्रभार" – ₹21881.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख के

(B) Under Major Head "3052" – "Coastal Shipping – Shipping Services – Operational Charges of Inter-Islands Vessels" – the original provision of

पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹22881.00 लाख कर दिए गया जो, तथापि, ₹170.33 लाख की सीमा तक निविदाओं के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपेथी – अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी" – ₹1250.00 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगर पालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद" – ₹1280.00 लाख की बचत (₹3360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – वन्य संरक्षण, विकास तथा पुनरुद्भवन – वन्य विकास" – ₹552.20 लाख की बचत (₹8377.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अवंटन पद के कारण थे।

(VI) मुख्य शीर्ष "3053" – "वायु सेवाएं – अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. को भुगतान" – ₹1101.02 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्षा मंत्रालय से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "पोर्ट ब्लेयर – चेन्नई/कोलकाता सेक्टर के बीच परिचालन के लिए पट्टा आधार पर विमान का अधिग्रहण" – ₹1300.07 लाख की बचत (₹2390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्षा मंत्रालय से आईएएफ डोर्नियर से संबंधित बिलों की प्राप्ति न होने और कम मांग की वजह से

₹21881.00 lakhs was augmented to ₹22881.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹170.33 lakhs – due to non-finalization of tenders.

(III) Under Major Head "2210" –"Medical Education, Training and Research – Allopathy – Andaman and Nicobar Islands Medical Education and Research Society" – saving of ₹1250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2217" – General – Assistance to Municipalities/Municipal Councils – Port Blair Municipal Council" – saving of ₹1280.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3360.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates.

(V) Under Major Head "2406" – Forestry – Forest Conservation, Development and Regeneration – Forest Development" – saving of ₹552.20 lakhs (against sanctioned provision of ₹8377.50 lakhs) was due to revised allocation of post.

(VI) Under Major Head "3053" – "Air Services – Other Expenditure" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Payment to Pawan Hans Helicopters Ltd" – saving of ₹1101.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Ministry of Defence.

(B) "Acquisition of Aircraft on Lease basis for operating between Port Blair – Chennai/Kolkata sector" – saving of ₹1300.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2390.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for IAF Dornier from Ministry of Defence and suspension of service of chartered flights

चार्टर्ड फ्लाइटों की सेवा का स्थगन किए जाने के कारण हुई।

owing to low demand.

(VII) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला तथा अन्य सड़कें – ग्राम पंचायत – ग्राम पंचायत को सहायता" के अंतर्गत ₹1314.15 लाख की बचत (₹5960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3054" – "District and Other Roads – Gram Panchayat – Aids to Gram Panchayat" – saving of ₹1314.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5960.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3225" – "अन्य व्यय – पूंजीगत व्यय के लिए अंशदान – उपग्रह ट्रांसपोंडर को भाड़े पर लेना" – ₹13570.91 लाख की बचत (₹23018.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीएसएनएल को चरणबद्ध भुगतान स्थगन किए जाने, ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने के लिए कम प्रतिपूर्ति प्रभार होने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "3225" – "Other Expenses – Contribution towards Capital Expenses – Hiring of Satellite Transponder" – saving of ₹13570.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23018.00 lakhs) was due to deferment of stage payment to BSNL, less reimbursement charges for hiring of transponders.

(IX) बचतें उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹2899.71 लाख की बचत हुई; जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम एवं कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 से 60 प्रतिशत थीं।

(IX) Under nine heads saving of ₹2899.71 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 60 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2357.41 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष "2801" – "डीजल/गैस विद्युत सृजन" के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I). The above savings were partly (₹2357.41 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs in February, 2019 under major head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation" - under the following heads: -

(का) "निदेशन एवं प्रशासन – विद्युत की खरीद" – ₹1000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹999.85 लाख था।

(A) "Direction and Administration – Purchase of Power" – ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.85 lakhs.

(खा) "फोनिक्स बे स्थित बिजलीघर – विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य" – ₹465.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹460.68 लाख था।

(B) "Power House at Phoniex Bay – Power Plant and Ancillary Works" - ₹465.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹460.68 lakhs.

(गा) "अन्य विद्युत गृह – विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य" – ₹891.91 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹933.15 लाख था।

(C) "Other Power Houses – Power Plant and Ancillary Works" - ₹891.91 lakhs. Actual excess, however, was ₹933.15 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह" – ₹672.43 लाख का अधिक व्यय (₹1357.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इवेंट मैनेजमेंट और वीवीआईपी यात्रा संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" –

(क) "विशेष पुलिस – भारतीय रिजर्व बटालियन" – ₹608.34 लाख का अधिक व्यय (₹5697.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "जिला पुलिस – जिला पुलिस स्थापना" – ₹1969.11 लाख का अधिक व्यय (₹14744.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत एमएसीपी बकाया राशि, कॉन्सटेबलों को बकाया राशि भुगतान के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन होने और अधिक यात्रा भत्ता दावों की प्राप्ति होने से संबंधित अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण अधिक व्यय हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – रख–रखाव और मरम्मत – भवन" के अंतर्गत ₹999.53 लाख का अधिक व्यय (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 1/30वां वेतन की बकाया राशि + मजदूरी का मंहगाई भत्ता और कार्य प्रभारित स्टॉफ के भत्तों से संबंधित अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "2070" – "अग्निशमन एवं नियंत्रण – रक्षा और नियंत्रण" – ₹513.98 लाख का अधिक व्यय (₹3325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएसीपी बकाया राशि और कॉन्सटेबलों को बकाया राशि भुगतान के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश के कार्यान्वयन संबंधित अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Andaman and Nicobar Islands" – excess of ₹672.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1357.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards event management and visit of VVIPs.

(B) Major Head "2055" –

(a) "Special Police – India Reserve Batallion" – excess of ₹608.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5697.00 lakhs); and

(b) "District Police – District Police Establishment" – excess of ₹1969.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14744.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards MACP arrears, implementation of Hon'ble Supreme Court of India's order for arrears of pay to constables and receipt of more travelling allowances claims.

(C) Major Head "2059" – "General – Maintenance and Repairs – Buildings" – excess of ₹999.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards arrears of 1/30th Pay + DA of wages and increase in pay and allowances of work charged staff.

(D) Major Head "2070" – "Fire Protection and Control – Protection and Control" – excess of ₹513.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3325.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards MACP arrears and implementation of Hon'ble Supreme Court of India's order for arrears of pay to constables.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – सरकारी प्राथमिक विद्यालय – प्राथमिक शिक्षा" – ₹668.81 लाख का अधिक व्यय (₹28171.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ता में वृद्धि होने, आशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नत्ति स्कीम बकाया राशि, विद्युत/जल शुल्क से संबंधित अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी प्राथमिक विद्यालय – माध्यमिक शिक्षा" – ₹1715.07 लाख का अधिक व्यय (₹14367.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ता में वृद्धि होने, आशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नत्ति स्कीम बकाया राशि और 1/30वां वेतन+डीआरएम को मजदूरी का महंगाई भत्ता से संबंधित अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(चा) मुख्य शीर्ष "2210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय" – ₹1250.56 लाख का अधिक व्यय (₹3196.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अस्पताल तथा औषधालय – जी.बी. पंत अस्पताल" – ₹1170.53 लाख का अधिक व्यय (₹8451.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अतंर्गत आशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नत्ति स्कीम, विद्युत/जल शुल्क से संबंधित अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण अधिक व्यय हुआ।

(E) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education – Government Primary Schools – Primary Education"- excess of ₹668.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28171.50 lakhs) was due to filling-up of vacant posts, increased DA, requirement of additional funds towards Modified Assured Career Progression Scheme arrears, electricity/ water charges.

(b) "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools" – excess of ₹1715.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14367.50 lakhs) was due to filling-up of vacant posts, increased DA, requirement of additional funds towards Modified Assured Career Progression Scheme arrears and implementation of 1/30th Pay+DA of wages to DRMs.

(F) Major Head "2210" –"Urban Health Services – Allopathy" –

(a) "Direction and Administration – Directorate of Health Services" – excess of ₹1250.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3196.50 lakhs); and

(b) "Hospitals and Dispensaries – G.B.Pant Hospital" – excess of ₹1170.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8451.50 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards arrears under Modified Assured Career Progression Scheme, energy/water charges and purchase of medicines.

(छा) मुख्य शीर्ष "2215" – "जलापूर्ति – ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम – ग्रामीण पाइप द्वारा जलापूर्ति" – ₹1999.99 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 1/30वां वेतन+डीआरएम/कार्य प्रभार स्टॉफ को मजदूरी का महंगाई भत्ता के कार्यान्वयन से संबंधित अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(G) Major Head "2215" – "Water Supply – Rural Water Supply Programme – Rural Piped Water Supply" – excess of ₹1999.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 1/30th Pay +DA of wages to DRMs/work charge staff.

(जा) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण" –

(H) Major Head "2235" – "Social Welfare" –

(क) "महिला कल्याण – अन्य स्कीमें" – ₹559.60 लाख का अधिक व्यय (₹1574.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधवा और निःसहाय को वित्तीय सहायता से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(a) "Women's Welfare – Other Schemes" – excess of ₹559.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1574.20 lakhs) was due to requirement of additional funds towards financial assistance to widows and destitutes.

(ख) "वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्ति का कल्याण – कल्याण स्कीम" – ₹934.68 लाख का अधिक व्यय (₹3102.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वृद्धावस्था पेंशन को वित्तीय सहायता संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Welfare of Aged, Infirm and Destitutes – Welfare Schemes" – excess of ₹934.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3102.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards financial assistance to old age persons.

(I) मुख्य शीर्ष "3051" – "लघु पत्तन – डॉकयार्ड और ड्राईडोकिंग – सरकारी डॉकयार्ड" – ₹981.62 लाख का अधिक व्यय (₹5374.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नये जहाजों के शामिल होने और एमवी कोरल क्वीन के चार्टरिंग की वजह से पीओएल की लागत संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(I) Major Head "3051" – "Minor Ports – Dockyards and Drydocking – Government Dockyard" – excess of ₹981.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5374.10 lakhs) was due to requirement of additional funds towards cost of POL owing to induction of new vessels and chartering of MV Coral Queen.

(III) बारह शीर्षों के अतंर्गत ₹4366.02 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 274 प्रतिशत थीं।

(III) Under twelve heads excess of ₹4366.03 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituted 13 percent to 274 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2076.00			
पू.	S.	1.00	2876.00	2875.97	-0.03
पु.	R.	799.00			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	1950.00			
पू.	S.	1.00	2298.33	2297.05	-1.28
पु.	R.	347.33			
मुख्य शीर्ष "4215" जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	4140.00			
पू.	S.	1.00	4600.00	4599.99	-0.01
पु.	R.	459.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	4200.00			
पू.	S.	1.00	2085.00	2085.00	..
पु.	R.	-2116.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4250"	Major head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	565.00			
पू.	S.	1.00	1612.50	1602.50	-10.00
पु.	R.	1046.50			
मुख्य शीर्ष "5051"	Major head "5051"				
पत्तनों और प्रकाश स्तम्भों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	5571.00			
			1973.00	1973.76	+0.76
पु.	R.	-3598.00			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major head "5052"				
पोत परिवहन पर पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	19208.00			
			10568.14	10561.79	-6.35
पु.	R.	-8639.86			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major head "5054"				
सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	7205.00			
पू.	S.	1.00	7760.00	7759.97	-0.03
पु.	R.	554.00			

(I) ₹191.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹191.00 lakhs remained wholly unutilized under twelve heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भवन" – ₹2415.00 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना में लंबित मध्यस्थता मामलें होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216" – "Government Residential Building – Tribal Area Sub-Plan – Building" – saving of ₹2415.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to pending arbitration cases in Tsunami Reconstruction Projects by Central Public Works Department.

(III) मुख्य शीर्ष "5051" – "लघु पत्तन" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "5051" – "Minor Ports" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य लागू पत्तन" –

(A) "Other Small Ports" –

(क) "जेट्टी निर्माण" – ₹1699.92 लाख की बचत (₹1961.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृति में विलंब होने और अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह कार्यों द्वारा निष्पादन कार्यों को किए जाने के कारण हुई।

(a) "Construction of Jetties" – saving of ₹1699.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1961.00 lakhs) was due to delay in sanction and execution of works by Andaman Lakshadweep Harbour works.

(ख) "पत्तन उपकरण और मशीनरी" – ₹544.26 लाख की बचत (₹2077.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना) वाहनों की खरीद के लिए निविदा के अंतिम रूप न दिए जाने और फास्ट इंटरसेप्टर बोट की खरीद में विलंब होने के कारण हुई।

(b) "Ports Equipment and Machinery" – saving of ₹544.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2077.00 lakhs) was due to non-finalization of tenders for procurement of vehicles and delay in procurement of Fast Interceptor Boat.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – जेट्टी निर्माण" – ₹1353.06 लाख की बचत (₹1533.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मस, कार निकोबार पर निकर्षण कार्य के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan – Construction of Jetties" – saving of ₹1353.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1533.00 lakhs) was due to delay in finalization of dredging work at Mus, Car Nicobar.

(IV) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – टनभार पर अर्जन और विस्तार की अधिप्राप्ति – पोतों की खरीद" ₹9121.52 लाख की बचत (₹9457.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जहाज निर्माण के चरण पूर्ण होने में विलंब होने और मेसर्स वाटरवेज शिपयार्ड सहित 2×250 पेक्स हार्वर क्रॉफ्ट के निर्माण/वितरण के लिए संविदा के निरस्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5052" – "General – Acquisition and Expansion of Tonnage – Purchase of Ships" – saving of ₹9121.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9457.00 lakhs) was due to delay in stage completion of the vessel construction and rescindment of contract for construction/delivery of 2x250 pax harbor craft with M/s Waterways Shipyard.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1172.16 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 16 से 69 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2912.83 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि फरवरी, 2019 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹6.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(I) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – सामान्य प्रशासन" – ₹699.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹699.49 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "4210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल तथा औषधालय – स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय" – ₹299.33 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹298.05 लाख था।

(III) मुख्य शीर्ष "4215" – "जल आपूर्ति – शहरी जल आपूर्ति – शहरी क्षेत्रों को जल आपूर्ति" – ₹299.00 लाख।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवसीय भवन – सामान्य पूल आवास – भवन" – ₹299.00 लाख।

(V) मुख्य शीर्ष "4250" – "प्राकृतिक आपदाएं – आपदाओं के प्रबंधन में तैयारियां बढ़ाना" – ₹1016.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1006.50 लाख था।

(VI) मुख्य शीर्ष "5054" – "जिला और अन्य सड़कें – सड़क निर्माण – जिला सड़क" – ₹299.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹299.49 लाख था।

(V) Underfour heads saving of ₹1172.16 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituted 16 percent to 69 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹2912.83 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹6.00 lakhs in February, 2019 under the following major heads: -

(I) Major Head "4059" – "General – Construction – General Administration" - ₹699.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹699.49 lakhs.

(II) Major Head "4210" – "Urban Health Services – Hospitals and Dispensaries – Directorate of Health Services" – ₹299.33 lakhs. Actual excess, however, was ₹298.05 lakhs.

(III) Major Head "4215" – "Water Supply – Urban Water Supply – Water Supply to Urban Areas" - ₹299.00 lakhs.

(IV) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Building" - ₹299.00 lakhs.

(V) Major Head "4250" – "Natural Calamities – Enhancing Preparedness in Managing Disasters" - ₹1016.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹1006.50 lakhs.

(VI) Major Head "5054" – "District and Other Roads – Road Works – District Roads" - ₹299.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹299.49 lakhs.